PRASHASNIK GURUKUL

DELHI SCHOOL OF CIVIL SERVICES

बजट संक्षिप्त परिचय

2021-22

RAMESH SINGH

बजट 2021–22 एवं आर्थिक सर्वेक्षण का विस्तृत विवरण रमेश सिंह सर द्वारा क्लास रूम में दिया जाएगा।

PRASHASNIK GURUKUL

B-50, 2nd, Sec.-J, (Opp. Shyam Swaad) Aliganj, Lucknow.

CONTACT : 0522-7118711, 7755807711, 7755857711.

WEBSITE : www.prashasnikgurukul.com

MAIL ID : prashasnikgurukul@gmail.com

भाग-1

वार्षिक वित्तीय वितरण (एएफएस) अनुच्छेद 112 के तहत प्रदत्त एक दस्तावेज है जिसमें भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों को दिखाया जाता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग बजट कर तैयार करने का केन्द्रीय निकाय है। बजट 2021-22 नए दशक (1921-30) का पहला बजट है जो अब तक का पहला डिजिटल बजट है

2020-2021 का बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित हैं

1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
5. नवप्रवर्तन और अनुंसधान एवं विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

स्वास्थ्य एवं कल्याण

स्वास्थ्य प्रणालियां

एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना, पी एम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करेगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाएंगी। यह 6 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य पहल निम्नलिखित हैं-

- स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्रों के लिए समर्थन
- राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं लोक स्वास्थ्य इकाईयां स्थापित करना।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) को सुदृढ़ करना
- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार
- वन हेल्थ, जो डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफार्म है, के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना।
- पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ करने के लिए सम्पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जायेगा।

जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज

- जल जीवन मिशन (शहरी) लांच किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है।इसे 2,87,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से 5 वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा।

Prashasnik Gurukul : B-50, 2nd, Sec.-J, (Opp. Shyam Swaad) Aliganj, Lucknow. Contact : 0522-7118711, 7755807711, 7755857711. Website : www.prashasnikgurukul.com Mail Id : prashasnikgurukul@gmail.com

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।
- शहरी भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए पूर्ण अवमल प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने, निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों के अपशिष्ट का प्रभावी रूप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण में कमी लानेऔर सभी पुराने डम्पसाइटों के बायो-उपचार पर ध्यान केन्द्रित करना।

वैक्सीन

- न्यूमोकोकल वैक्सीन, एक भारत निर्मित उत्पाद है, वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक सीमित है, को पूरे देश में लागू किया जाएगा इससे प्रति वर्ष 50 हजार से अधिक बाल मृत्यु को रोका जाएगा।
- बजट अनुमान 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए प्रदान किये गए है।

स्वच्छ वायु

- वायु प्रदुषण की समस्या का समाधान करने के लिए 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रूपए की राशि मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

स्क्रेपिंग नीति

- व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 वर्ष के पश्चात और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 वर्ष के पश्चात् वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस जांच करानी होगी।

भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना

आत्मनिर्भर भारत- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

- आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चौंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएल आई योजनाएं घोषित की गई हैं। इसके लिए, सरकार वित्त वर्ष 2021-22 से आरंभ करके अगले5 वर्ष में लगभग 1.97 लाख करोड़ रूपए की व्यवस्था करने के लिए कटिबद्ध है।
- यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाने में, वैश्विक चौंपियन सृजित और पोषित करने तथा हमारे युवाओं को नौकरियां देने में सहायता करेगी।

कपड़ा

- कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए सक्षम बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क (मित्रा) की एक योजना लांच की जाएगी।
- 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किये जायेंगे।

अवसंरचना

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का विस्तार करके इसमें अब 7400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है।
- इस बजट में तीन तरीकों में इसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है पहले, संस्थागत संरचनाएं सृजित करके;दूसरे, आस्तियों के मुद्रीकरण पर जोर देकर और तीसरे केन्द्रीय तथा राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय के हिस्सों में बढ़ोतरी करके।

अवसंरचना वित्तपोषण-विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई)

- इस संस्था के पूंजीकरण के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया करायी गई है। इस डीएफआई के लिए तीन वर्षों के समय में कम से कम 5 लाख करोड़ रूपए का उधारी पोर्टफोलियो होगा।
- विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों द्वारा आईएनवीआईटी और आरईआईटी का ऋण वित्तपोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा।

आस्ति मुद्रीकरण

- "राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन"लांच की जाएगी। प्रगति को ट्रैक करने और निवेशकों की सुविधा हेतु एक आस्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड सृजित किया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं–
  - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीजीसीआईएल में से प्रत्येक ने एक आईएनवीआईटी प्रायोजित की है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगी।

पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि

- बजट अनुमान 2020–21 में, पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए तथा 2021–22 के लिए, 5.54 लाख करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं जो 2020–21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक हैं।

सड़क और राजमार्ग अवसंरचना

- सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक कोरिडोर की भी योजना बनाई जा रही है।

रेलवे अवसंरचना

- भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार' रेलवे तंत्र सृजित करना है।
- यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा कोरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी जून 2022 तक चालू हो जाएगा।
- यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं–
  - हम यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौन्दर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए बिस्टाडोम एलएचवी कोच आरंभ करेंगे।
  - भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किये गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने को समाप्त करेगी।

Prashasnik Gurukul : B-50, 2nd, Sec.-J, (Opp. Shyam Swaad) Aliganj, Lucknow. Contact : 0522-7118711, 7755807711, 7755857711. Website : www.prashasnikgurukul.com Mail Id : prashasnikgurukul@gmail.com

शहरी अवसंरचना

- मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य किया जायेगा।
- सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रूपए की लागत पर एक नई योजना लांच की जाएगी।
- दो नई प्रौद्योगिकी अर्थात् 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो'समान अनुभव, सुविधा के साथ अपेक्षाकृत कम लागत पर मेट्रो रेल तंत्र प्रदान करने के लिए तथा टीयर-2 शहरों में सुरक्षा तथा टीयर-1 शहरों के परिधि क्षेत्रों में तैनात की जाएगी।

विद्युत अवसंरचना

- एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे उपभोक्ता एक से अधिक संवितरण कंपनियों में से अपना चुनाव करने का विकल्प रख सकेंगे।
- एक परिष्कृत व सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र की योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम्स को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी।
- 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है

पत्तन, नौवहन, जलमार्ग

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकारी व निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत प्रमुख पत्तनों के द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी।
- भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने की एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें मंत्रालयों और सीपीएसई के द्वारा जारी किए जाने वाले विश्व स्तरीय निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से सहायता दी जा सकेगी।

पेट्रौलियम और प्राकृतिक गैस

- उज्ज्वला स्कीम, का इस हद तक विस्तार किया जाएगा कि इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें।
- हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे।
- एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

वित्तीय पूंजी

- एक युक्तिसंगत एकल सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड तैयार करने का प्रस्ताव है।
- सरकार जीआईएफटी-आईएफएससी में एक विश्वस्तरीय या फिन-टेक हब विकसित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार है।
- एक स्थायी संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार किए जाने का प्रस्ताव है।

- इस प्रस्तावित निकाय के द्वारा दबावयुक्त और सामान्य समय अर्थात् दोनों ही स्थितियों में निवेशपरक ग्रेड की ऋण सिक्योरिटीज़ की खरीद की जा सकेगी और इससे बांड मार्केट के विकास में मदद मिल सकेगी।
- देश में सोने के विनिमय को विनियमित करने के लिए सेबी को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को मजबूत बनाया जाएगा।
- निवेशकों को संरक्षण देने की दिशा में यह प्रस्ताव सभी वित्तीय उत्पादों के प्रति सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक इन्वेस्टर चार्टर को लागू करने का है।
- गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपये और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी को लगाने का है।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाना

- बीमा कंपनियों में अनुज्ञेय एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की करने और सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को स्वीकृति देने का प्रस्ताव।
- एक असेट रीकंस्ट्रक्सन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेंजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा जिससे वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथ में लिया जा सके फिर उसके बाद उस परिसंपत्ति का वैकल्पिक निवेश कोष में निपटान किया जा सके और अन्य सक्षम निवेशकों को दिया जा सके ताकि उसका अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके।

पीएसबी का पुनः पूंजीकरण

- पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये और का पुनः पूंजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

जमा बीमा

- डीआईसीजीसी एक्ट, 1961 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिससे कि इसके प्रावधानों को स्ट्रीम लाइन किया जा सके ताकि यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो जाता है।
- एनबीएफसी के लिए जिसकी न्यूनतम परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल असेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरीटी इन्टेरेस्ट (एसएआरएफएईएसआई) एक्ट, 2002 के अंतर्गत ऋण वसूली के लिए पात्र न्यूनतम ऋण की सीमा को 50 लाख रुपये के वर्तमान स्तर से कम करके 20 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

कंपनी मामले

- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) एक्ट, 2008 को अपराध मुक्त बनाया गया।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिएउनकी न्यूनतम सीमा (थ्रेशोल्ड) 50 लाख रुपये से अनधिक' के स्थान पर 2 करोड़ रुपए से अनधिक' तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा को '2 करोड़ रुपये से अनधिक' के स्थान पर '20 करोड़ रुपये से अनधिक' किया जाए।

- ओपीसी को मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर बिना प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सके।
- विवादों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा, ई-कोर्ट्स सिस्टम को लागू किया जाएगा और एमएसएमई के लिए ऋण समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था और विशेष फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा।
- राजकोषीय वर्ष 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू की जायेगी।

विनिवेश और रणनीतिक विक्रय

- विनिवेश से ब.अ. 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है।

सरकारी वित्तीय सुधार

- ट्रेजरी सिंगल एकाउंट सिस्टम (टीएसए) को सर्वसुलभ रूप से लागू किया जायेगा।
- सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सरल बनाने के लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित की जायेगी।

आकांक्षी भारत का समग्र विकास

- प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम [(SWAMITVA) survey of villages and mapping and improvised technology in villge area)] शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा।
- वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया है।
- कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम' जोकि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा।
- ई-एनएएम से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा देखने में आयी है उसको ध्यान में रखते हुए 1000 और मंडियों को ई-एनएएम के अंतर्गत लाया जाएगा।
- एपीएमसी कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे।

मात्स्यिकी

- आधुनिक मात्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव शुरू-शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों – कोच्चि, चौन्नई, विशाखापत्तन, पारदीप और पेटुआघाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा।
- सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना की जायेगी।

प्रवासी श्रमिक और मजदूर

- एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड की योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं जो कि कवर किए गए कुल लाभार्थियों का 86 प्रतिशत है। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी।
- एक ऐसे पोर्टल को शुरू किया जायेगा जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है।
- 4 श्रम संहिताओं को लागू करके विश्वभर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाजत होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको प्रर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी समय नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा और वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे।

वित्तीय

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत मार्जिंग मनी की आवश्यकता को 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी दिए जाने वाले ऋण को शामिल किया गया।
- इस बजट में भी इस क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है – जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान का भी दो गुना है।

मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन

विद्यालयी शिक्षा

- 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा।
- गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित उसके क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश किया जायेगा यह एक छत्रक निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन, और फंडिग के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे।
- लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

- जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है।
- हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरूद्धार किया गया है।
- 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रुपये का आबंटन कर किया जा है।

Prashasnik Gurukul : B-50, 2nd, Sec.-J, (Opp. Shyam Swaad) Aliganj, Lucknow. Contact : 0522-7118711, 7755807711, 7755857711. Website : www.prashasnikgurukul.com Mail Id : prashasnikgurukul@gmail.com

अभिनव एवं अनुसंधन तथा विकास

- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस एनआरएफ की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है।
- एक नई पहल –राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) शुरू की जा रही है। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, पी एस एल बी–सीएस51 को लांच करेगा जो अपने साथ ब्राजील का एमाजोनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे-मोटे उपग्रह भी होंगे।
- हमारे सागर जैविक और गैर-जैविक संसाधनों के भंडार गृह हैं। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक गहरा सागर मिशन शुरू होगा जिसके लिए अगले पांच वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस मिशन में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को तथा गहरे समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

- 56 सहबद्ध स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वृत्तिक आयोग विधेयक पेश किया गया है
- आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजीटल जनगणना होगी।
- इस कार्य को 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।
- गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। भारत सरकार की ओर से, गोवा सरकार को आयोजनों के लिए 300 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव।
- चाय श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।

राजकोषीय स्थिति

- सं.अ. 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधीयन किया है।
- ब.अ. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपये होगी।
- भारत की आकस्मिक निधि 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये की जा रही है।
- 15वें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत पर नियत करने की अनुमति।

- 2023-24 तक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है।
- आयोग की सिफारिश पर, 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये मुहैया करा दिया गया हैं जबकि 2020-21 में इसके लिए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

भाग-2

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

- जिन वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष से अधिक उम्र) के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है, उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट देने का प्रस्ताव।

आयकर कार्यवाही के समय में कमी लाना

- कर-निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय-सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी, केवल वहाँ जहाँ एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छिपाने का साक्ष्य है, कर-निर्धारण को 10 वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है।
- इसे मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही पुनः खोला जा सकता है।

विवाद समाधान समिति की स्थापना

- छोटे करदाताओं के लिए मुकदद्मेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। 50 लाख रुपये तक की कर-देय आय और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाला कोई भी व्यक्ति समिति की सहायता लेने का पात्र होगा।
- राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अधिकरण केंद्र की स्थापना की जायेगी।

लाभांश के लिये राहत

- कर-अनुपालन की सुगमता के लिये आरईआईटी/इनविट में लाभांश के भुगतान के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव।
- लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश की घोषणा उसके भुगतान के बाद ही संपन्न होगी
- विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर कर की कटौती करने का प्रस्ताव है।

Prashasnik Gurukul : B-50, 2nd, Sec.-J, (Opp. Shyam Swaad) Aliganj, Lucknow. Contact : 0522-7118711, 7755807711, 7755857711. Website : www.prashasnikgurukul.com Mail Id : prashasnikgurukul@gmail.com

अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना

- जीरो कूपन बॉण्ड जारी करके अवसंरचना में वित्तपोषण की अनुमति देने के लिए

किफायतीआवास/किराया आवास

- 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक, ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया गया था। इस कटौती की पात्रता और एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष अर्थात् मार्च, 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) को कर प्रोत्साहन

- एयरक्राप्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी लाभ के लिये कर अवकाश।
- विदेशी पट्टाकर्ताओं को दिए गए एयरक्राप्ट पट्टा किराए के लिए कर छूट।
- आईएफएससी में विदेशी निधियाँ ले जाने के लिए कर प्रोत्साहन; और आईएफएससी में स्थित विदेशी बैंकों के निवेश प्रभाग को कर छूट की अनुमति शामिल करने का प्रस्ताव।

विवरणियों का पहले से भरा होना

- कर-विवरणी भरना और आसान बनाने के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभं, लाभांश आय, और बैंकों, पोस्ट ऑफिस, आदि से प्राप्त ब्याज के ब्यौरे भी पहले से भरे हुए होंगे।

छोटे न्यासों को राहत

- स्कूल और अस्पताल को चालने वाले लघु सेवार्थ न्यायों को पूरी तरह छूट मिली हुई है जिनकी वार्षिक प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया है।

श्रमिक कल्याण

- नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को विलंब से जमा किए जाने की नियोक्ता की कटौती के रूप में कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन

- स्टार्ट-अप्स के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता और एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए पूंजी लाभ छूट को और एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

सीमा-शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

- हमारी सीमा-शुल्क नीति के दो उद्देश्य होने चाहिए-पहला घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने देना तथा अधिक निर्यात करने में मदद करना।

- पहले 80 पुरानी रियायतों को समाप्त किया जा चुका है।
- इस वर्ष 400 से अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव।
- अब से सीमा-शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी करने की तारीख से दो वर्षों के बाद मार्च तक वैध होगी।
- सीमा शुल्क में छूट कुछ लौह इस्पात उत्पाद, वस्त्र उत्पाद सोना चाँदी एवं रसायनों का प्रावधान

नवीकरणीय ऊर्जा

- घरेलू क्षमता तैयार के लिए, हम सोलर सेल ओर सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे।
- सोलर इनवर्टनरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पर 5% से बढ़ाकर 15% किया गया।

एम.एस.एम.ई. उत्पाद

- परिधान, चमड़ा और हैंडीक्रॉफ्ट के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क-मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छुट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।
- कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को वापिस लिया जा रहा है।
- निर्मित सिंथेटिक जेम स्टोन पर सीमा शुल्क को बढ़ाया जा रहा है।

कृषि उत्पादक

- कपास पर सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% किया गया।
- थोड़ी संख्या में वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एचाईडीसी) का प्रस्ताव।

INTERVIEW
MAINS
PRELIMS/CSAT
PRASHASNIK GURUKUL

❑❑❑